न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 62 / 2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1 मानाराम पुत्र ईशराराम उम्र 50 वर्ष

2 पूजाराम पुत्र ईशराराम उम्र 45 वर्ष

3 बुधाराम पुत्र ईशराराम उम्र 52 वर्ष

4 गुणेशा पुत्र राणा उम्र 43 वर्ष

5 छगना पुत्र गिरधारी उम्र 66 वर्ष

6 जेरामा पुत्र गिरधारी उम्र 75 वर्ष

7 थानाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 52 वर्ष

8 दमा पुत्र राणा उम्र 48 वर्ष

9 द्रोपी पत्नि कोहलाराम उम्र 72 वर्ष

10\. नरसीगाराम पुत्र खुशाला उम्र 62 वर्ष

11\. पूनमाराम पुत्र खुशालाराम उम्र 40 वर्ष

12\. बहताराम पुत्र कोहलाराम उम्र 60 वर्ष

13\. भूरा पुत्र राणा उम्र 62 वर्ष

14\. भंवराराम पुत्र खुशाला उम्र 70 वर्ष

15\. भीखा पुत्र किरता उम्र 80 वर्ष

16\. राजू पुत्र किरता उम्र 75 वर्ष

17\. रामा पुत्र गिरधारी उम्र 79 वर्ष

18\. सिमरथा पुत्र गिरधारी उम्र 82 वर्ष

19\. कुंदनो पत्नि ईशराराम (फौत के कायम मुकाम प्रार्थी संख्या 1 से 3) जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण

1 केहराराम पुत्र मुकनाराम उम्र 40 वर्ष

2 जगदीश पुत्र बींजाराम उम्र 42 वर्ष

3 निम्बाराम पुत्र भीखाराम उम्र 55 वर्ष

4 पपुराम पुत्र बींजाराम उम्र 40 वर्ष

5 पारूदेवी पत्नि बींजाराम उम्र 75 वर्ष

6\. पार्वती पत्नि केहराराम उम्र 50 वर्ष

7\. वेहनाराम पुत्र भीखाराम उम्र 52 वर्ष

8\. शैम्भूराम पुत्र मुकनाराम उम्र 55 वर्ष जातियान राईका निवासी शिवनगर टाकू तहसील सिणधरी

9\. कमलसिंह पुत्र धनसिंह उम्र 60 वर्ष

10\. मोहनसिंह पुत्र धनसिंह उम्र 58 वर्ष

11\. रामसिंह पुत्र धनसिंह उम्र 55 वर्ष

12\. सूजानसिंह पुत्र धनसिंह उम्र 52 वर्ष

13\. शंभूसिंह पुत्र मुकनाराम उम्र 75 वर्ष जातियान राजपूत निवासी शिवनगर टाकू तहसील सिणधरी

14\. केहराराम पुत्र कानाराम उम्र 45 वर्ष

15\. मांगीदेवी पत्नि कानाराम उम्र 65 वर्ष

16\. शंकराराम पुत्र कानाराम उम्र 40 वर्ष

17\. भंवराराम पुत्र खेताराम उम्र 42 वर्ष

18\. लूणाराम पुत्र खेताराम उम्र 38 वर्ष

19\. हरखाराम पुत्र खेताराम उम्र 35 वर्ष

20\. जुगताराम उर्फ जगदीश कुमार पुत्र गीगाराम

21\. पांचाराम पुत्र गीगाराम उम्र 42 वर्ष

22\. ताराराम पुत्र भावाराम उम्र 45 वर्ष

23\. चुन्नीलाल पुत्र लच्छाराम उम्र 40 वर्ष

24\. [illegible] पुत्र लच्छाराम उम्र 42 वर्ष

25\. [illegible]रधनराम पुत्र हुकमाराम उम्र 45 वर्ष

26\. [illegible] पुत्र उकाराम उम्र 55 वर्ष

27\. मगुदेवी पत्नि उकाराम [illegible] वर्ष

28\. मानाराम पुत्र उकाराम उम्र 50 वर्ष जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

29. मीरोदेवी पत्नि हनुमानप्रसाद उम्र 42 वर्ष जाति जाट निवासी हनुमानसागर, चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण

30. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 06.02.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25.4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25. 4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25.4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा

उपखण्ड अधिकारी

न्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25.4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25.4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा शिवनगर टाकू के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 25.4916 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 4 रकबा 0.1780 हैक्टेयर कुल रकबा 25.6696 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी